राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2460/2011/श्रीगंगानगर.

श्री अंग्रेज सिंह C/o फकीर चंद जैन, एडवोकेट,
फोर्ट गेट के पास, हनुमानगढ़ टाऊन. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. ओझा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/4/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 320/आरवेट/हनुमानगढ़/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.8.2008 की पुष्टि की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 15.8.2008 को संगरिया–डबवाली मार्ग पर वाहन संख्या आर.जे.13/जी–1736 को चैक किये जाने पर वाहन में 37.5 क्विंटल चना परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक (प्रत्यर्थी) ने माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं होना तथा माल संगरिया से लाना तथा चौटाला ले जाना जाहिर किया। इस पर सक्षम अधिकारी ने माल परिवहन में अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए दिनांक 21.8.2009 के लिये नोटिस जारी किया। इस पर प्रत्यर्थी ने उसी दिन अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए अपनी गलती मानते हुए, उसी दिन केस का निस्तारण करने का निवेदन किया। इस पर सक्षम अधिकारी ने परिवहनित माल 37.5 क्विंटल की कीमत @2000/– प्रति क्विंटल रूपये 75,000/– अनुमानित करते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 22,500/– व 1 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 750/– कुल रूपये 23,250/– का आरोपण आदेश दिनांक 15.8.2008 से किया।

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी एक कृषक है तथा विवादित माल अपीलार्थी की कृषि भूमि की उपज थी, जिसे वह चौटाला विक्रय करने जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि से सम्बन्धित जमाबंदी की प्रतियां भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की है। यह भी कथन किया कि केवल अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के आधार पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। सक्षम अधिकारी की आदेशिका, जारी रसीद व अपीलार्थी के जवाब की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी ने आदेशिका में प्रकरण प्रशमन करने की टिप्पणी अंकित की है। जारी वसूली रसीद वैट–38 पर भी 76(6) के केस को धारा 68(3)(ए) के तहत निर्णीत करना अंकित किया है, लेकिन बाद में जारी आदेश में शास्ति 30 प्रतिशत व कर आरोपित किया गया है। प्रशमन राशि कर दर 1 प्रतिशत का 4 गुणा ही हो सकती है, अपीलीय अधिकारी ने बिना कारण अंकित किये अपील अस्वीकार कर भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 21.8.2008 के लिये जारी किये गये नोटिस की पालना में भी अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी दिन केस का निस्तारण करने का निवेदन किया। इस पर सक्षम अधिकारी ने बिना दस्तावेज माल परिवहन के कारण शास्ति एवं वैट का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी की प्रतियां अपीलार्थी की बाद की सोच का परिणाम है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में भी अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी दिन प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। जहां तक अपीलीय अधिकारी के समक्ष कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज अपीलीय अधिकारी के स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं हैं। जमाबंदी में परिवहनित माल का स्वयं की पैदावार होना भी प्रमाणित नहीं होता है। सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु अपीलार्थी ने उक्त समय का उपभोग किये बिना, उसी दिन प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया शास्ति से बचने हेतु अपीलार्थी की बाद की सोच का परिणाम है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जवाब में नोटिस के आरोप तो स्वीकार किये हैं, लेकिन प्रकरण को प्रशमन करने हेतु निवेदन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रशमन नहीं किया जा सकता था। आदेशिका दिनांक 15.8.2008 में भी टंकित आदेशिका में प्रशमन सम्बन्धी टिप्पणी को काटकर विलोपित किया गया है। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा वैट–38 पर धारा 68(3)(ए) का अंकन करने से प्रकरण प्रशमित नहीं हो जाता, जबकि रसीद द्वारा भी शास्ति 30 प्रतिशत की वसूली मय कर/वैट की गई है। अपीलार्थी वाहन चालक ने प्रथम दृष्टया बयानों में स्वयं को माल मालिक होना नहीं बताया है, बल्कि नोटिस का प्रत्युत्तर देते हुए आरोप स्वीकार कर केस निस्तारण का निवेदन किया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व वैट पूर्णतया विधिसम्मत हैं। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 27.01.2011 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/4/14